(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 30/2012

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– मोहन पुत्र श्यामलाल जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
2– कल्लू पुत्र श्यामलाल जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
3– सोनाबाई पुत्री श्यामलाल पत्नि रामसिंह उर्फ भजन जाति खेरूवा निवासी भैरूघाटी ग्राम पंचायत मकरावदा तहसील गुना जिला गुना (म.प्र.)
4– हल्कीबाई पुत्री पुत्र श्यामलाल जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
5– भगवतीबाई बेवा श्यामलाल जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
6– कंवरलाल पुत्र गुल्ला जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ
7– मथुरीबाई पुत्री गुल्ला पत्नि मथुरालाल जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तह. छबडा (मृतक)
7/1 मदनलाल पुत्र मथुरीबाई जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा (मृतक)
7/2 नन्दलाल पुत्र मथुरीबाई जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा (मृतक)
7/3 ईश्वरलाल पुत्र मथुरीबाई जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा (मृतक)
7/4 चन्दनबाई पुत्री मथुरीबाई पत्नि भीमा खेरूवा निवासी खेरूना तहसील किशनगंज जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2– श्री अनोज कुमार शर्मा अभिभाषक **(अप्रार्थी)**
क्रम 1,2,4,5,6

निर्णय दिनांक 10.10.2019

राजस्थान सरकार जर्ये :– प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम मदनाखेडी की भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि दिनांक 30.09.1975 को उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा गुल्ला पुत्र नवल जाति खेरूवा निवासी मदनाखेडी तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन की गयी है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 मे हैसियत खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 20.11.2012 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1,2,4,5,6 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 व 7/1 ता 7/4 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। जिनके बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि वादी द्वारा जो रेफरेंस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है वह निराधार व असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। जबकि वास्तविक यह है कि खसरा नम्बर 63 रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि किस्म बंजड द्वितीय प्रतिवादीगणके पिता के पिता गुल्ला पुत्र नवला के पिता को आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तरकरण दिनांक 30.9.1975 को गुल्ला पुत्र नवला के पक्ष मे नामान्तरकरण संख्या 1066 खोला गया था। तब से ही उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण उसके पिता व उसके पिता गुल्ला उक्त कृषि भूमि पर खेती करते चले आ रहे है। उक्त भूमि कभी भी गैर मुमकीन नाला नही नही है, प्रतिवादीगण के परिवार को उक्त भूमि आवंटित की गई थी, तब भी भौतिक रूपसे उक्त कृषि भूमि पर गैर मुमकीन नाला मौजूद नही था न ही उक्त भूमि के आसपास ही कोई नाला मौजूद है। उक्त भूमि पूर्ण रूप से कृषि भूमि है प्रतिवादीगण एवं उसके पिता द्वारा उक्त कृषि भूमि पर काफी रूपया व श्रम खर्च कर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान मे भी प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है, उक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त प्रतिवादीगण के पास आय का कोई जरिया नही है। यदि उक्त भूमि प्रतिवादीगण से छीन ली गई जो प्रतिवादीगण के सामने भूखो मरने की नौबत आ जायेगी। अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम मदनाखेडी जिसके खसरा नम्बर 63 रकबा 0.11 हेक्टयर है। जो कि सम्वत् 2012 मे भी राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने दिये है।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.) के खसरा नम्बर 63 रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण मे सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.23 11:11:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: